न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1.अनिता जालोरा पत्नी नरेश जालोरा जाति सोनी निवासी बलदेवसिंह कॉलोनी सुमेरपुर जिला पाली 2.डॉ0 सुनिल गेमावत पुत्र सज्जनराजजी जाति जैन निवासी गेमावतों का वास शिवगंज जिला सिरोही	**बनाम**	1.कन्हैयालाल पुत्र हकारामजी जाति घांची निवारी शिवगंज 2.कविता पुत्री धरमाराम जाति कुम्हार 3.कानाराम पुत्र धरमाराम जाति कुम्हार 4.नर्बदादेवी पत्नी धरमाराम जाति कुम्हार 5.पुष्पादेवी पत्नी धरमाराम जाति कुम्हार 6.मंजुलाबने पुत्री धरमाराम जाति कुम्हार 7.राजेशकुमार पुत्र धरमाराम जाति कुम्हार 8.हितेशकुमार पुत्र धरमाराम जाति कुम्हार निवारीगण बडगांव तह0 शिवगंज 9.राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल		**विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा** अप्रार्थी सं0 3,4 7,8

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 05/2023
दिनांक 07.01.2025

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थीगण ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमांर खण्डेलवाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील शिवगंज में पास पास आई हुई है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बडगांव में खसरा नं0 704/15 रकबा 0.7446 हैक्टयर आई हुई स्थित है। जिसके पास पूर्व दिशा तरफ अप्रार्थी सं0 एक की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नं0 704/1 रकबा 1.5054 हेक्टयर अप्रार्थी सं0 2 लगाय 8 की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नं0 705/6 रकबा 0.8094 हैक्टयर व अप्रार्थी सं0 9 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 705/2 रकबा 5.0343 हैक्टयर आई हुई स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नं0 704/15 में आने जाने हेतु खसरा नं0 717 में से निकल रहे पक्के डामरीकृत सडक (शिवगंज से काम्बेश्वरजी जाने वाले रास्ते) से होते हुए अप्रार्थी सं0 9 के खेत खसरा नं0 705/2 के मध्य से होते हुए अप्रार्थी सं0 2 लगाय 8 के खेत खसरा नं0 705/6 के दक्षिण माठ के सहारे सहारे होते हुए अप्रार्थी सं0 1 के खेत के खसरा नं0 704/1 के दक्षिण माठ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम कदीमी रास्ता है। जिस रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण कदीमी रूप से करते आ रहे है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नं0 704/15 में आने जाने हेतु खसरा नं0 705/2, 705/6 व 704/1 में से निकल रहे रास्ते का संलग्न नजरी नक्शें में बरंग लाल रंग से दर्शाया गया है। राजस्व रेकर्ड में काम्बेश्वर जाने वाले रास्ते पुरा तरमीम नहीं किया हुआ है तथा खसरा नं0 717 जो रास्ता है उसकी किस्म राजस्व रेकर्ड में खालखद्दर दर्ज की हुई है लेकिन मौके पर काम्बेश्वर जी जाने वाले डामरीकृत सडक है। खसरा नं0 703 की किस्म राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज है लेकिन उपरोक्त रास्ता की भूमि वर्तमान में नाडी में समाहित हो चुकी है। जिससे मौके पर खसरा नं0 703 रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण को उसके खेत के खसरा नं0 704/15 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत के खसरा नं0 705/2, 705/6, 704/1 में से निकल रहे संलग्न नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शित रास्ते को अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.20[illegible] को [illegible] रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये एवं तह[illegible] रिपोर्ट हेतु पत्र कमाक 753 दिनाक 01.11.2023 को जारी कर [illegible] गई। दिनाक 21.07.2023 को अप्रार्थी सं0 1 का नोटिस तामील होने के पश्चात भी अनुपस्थित रहने से उनके वि[illegible]क पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 11.08.2023 को अप्रार्थी सं0[illegible] 4, 7 व 8 की ओर [illegible]वक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा ने वकालतनामा पेश कर दिनांक 23.04.2024 को अप्रार्थीगण की और से जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:51:59 IST
Reason: SelfAttested

.... शेष पेज संख्या दो पर

दिनांक 23.07.2024 को अप्रार्थी सं0 2 व 5, 6 के नोटिस तामील होने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 23.07.2024 को तहसीलदार शिवगंज ने रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार शिवगंज के द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी सं0 1 के खसरा नं0 704 / 1 रकबा 1.5054 हैक्टयर भूमि में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है क्योंकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु निकटतम सरकारी रास्ते से जुडता हुआ है एवं प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर कोई निर्माण संरचना निर्मित नहीं है। जिस पर दिनांक 07.01.2024 को उभय वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नं0 705 / 2, 705 / 6, 704 / 1 में से निकल रहे संलग्न नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शित रास्ते को अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को दिलाये जाने का निवेदन किया गया है व उक्त प्रस्तावित खसरे में से रास्ता नहीं दिलाने के संबंध में कथन किया कि तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तावित खसरा नं0 704 / 1 में गहरी 20-30 फिट की खाई है। जिससे उस खसरा में गहरी खाई होने से प्रार्थीगण को चाहे गये प्रार्थनापत्र के अनुसार रास्ता दिलाने का पुनः निवेदन किया गया। जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उक्त बात का खण्डन करते हुए बताया कि तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तावित किया रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पास में है जो कि उचित है एवं उन्होंने बहस में बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 'क' के प्रावधान के अनुसार प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु लधुत्तम दूरी से रास्ता दिया जाने का प्रावधान है। प्रार्थीगण अपनी सुविधा के अनुसार जो रास्ता दिये जाने की मांग कर रहे है वो विधि के विपरित है। प्रार्थीगण को उनकी सुविधा के अनुसार रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगणों के पास अपनी खातेदारी भूमि में पंहुच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लधुत्तम दूरी पर नहीं होने से उन्हें दिया जाना उचित नहीं समझते। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार खसरा नं0 704 / 1 रकबा 1.5054 हैक्टयर भूमि में से रास्ता दिया जाना उचित है **क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 'क' के प्रावधान के अनुसार प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु लधुत्तम दूरी से रास्ता दिया जाने का प्रावधान है।**

अतः तहसीलदार शिवगंज के जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर-1 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा बडगांव तहसील शिवगंज के खसरा नं0 704 / 15 रकबा 0.7446 हैक्टयर भूमि में पंहुचने हेतु मौजा बडगांव के खसरा नं0 704 / 1 रकबा 1.5054 हैक्टयर में से रकबा 427 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित होने से तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित रास्ता 6.10 मीटर चौडा एवं 70 मीटर लम्बाई कुल प्रस्तावित रास्ता 427 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर 1118872 प्रतिहैक्टयर के अनुसार 47,776 /-रूपये बनती है जिसकी दुगनी राशि 95,552 /- (पंचानवे हजार पांच सौ बावन) रूपये का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को जमा कराने या खातेदार द्वारा राशि नहीं लेने पर उक्त राशि तहसील के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर-1 को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:51:59 IST
Reason: SelfAttested

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर,
शिवगंज
दिनांक 07.01.2025

कमांक / कोर्ट / 2025 / 05
प्रतिलिपिः-
तहसीलदार शिवगंज को एक माह में पालना कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर,
शिवगंज